न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री राजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 118/2023 (GCMS No. 2023/126) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. भगवतसिंह
2. शिवसिंह
3. कप्तानसिंह

} पिसरान श्री मोतीराम जाति जाट निवासी लखन पैंघोर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायायल अति जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 26.06.2014 मुकदमा नं. 19/2013 उनवानी भगवतसिंह बनाम सरकार एवं निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 11.03.2013 प्रकरण संख्या 200/2012 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट की ओर से श्री मोहनसिंह राना, वकील

नि र्ण य

दिनांक : 29.04.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 26.06.2014 एवं नायब तहसीलदार कुम्हेर के आदेश दिनांक 11.03.2013 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का ने नायब तहसीलदार कुम्हेर को रिपोर्ट की है कि अपीलांट ने आराजी खसरा नम्बर 550 रकवा 0.11 हैक्टे. में से 0.01 हैक्टै. किस्म सिवायचक वांके ग्राम लखन तहसील कुम्हेर में संवत् 2069 रबी में पेड पौधे लगाकर व मेड बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को 30 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित करते हुये आराजी से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के यहॉ की, जिन्होंने अधीनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालय के निर्णय को सही मानने हुये अपीलांट की अपील खारिज कर दी गई। जिनके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलव किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरवी हेतु कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया।

3. अपीलांटस के अभिभाषक को अपील पर सुना गया।

4. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलांटस द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि हर दो अधीनस्थ न्यायालयों में बिना किसी ठोस साक्ष्य के अभाव में अपीलांटान का खसरा नम्बर 550 रकवा 0.01 हैक्टे. रकवे पर पेड पौधे लगाकार अतिक्रमण होना मानकर अपीलांटस की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 560 से बेदखल करने का आदेश पारित कर 30 दिवस की सजा से दण्डित कर कानूनी भूल की है। अपीलांटस द्वारा खसरा नम्बर 560 की आड में खसरा नम्बर 550 जो रास्ते का नम्बर बताया जा रहा है, उस पर कभी अतिक्रमण नहीं किया क्योंकि ख.नं. 560 से लगे ख.नं. 558, 557, 553, 552, 550 हैं, के अवलोकन से अपीलांटस का अतिक्रमण किया जाना साबित नहीं होता है। ख.नं. 550 के सहारे अपीलांटस का ख.नं. 560 इसके दूसरी ओर रास्ते से लगा हुआ है जिसका साविक नम्बर 1835 रकवा 6 विस्वा है। रास्ते का जो नम्बर है वह अपीलांटस के पडौसी नाहरसिंह वगै. के खाते में शामिल कर दिया है। दुरूस्ती के लिए अपीलांटस की न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन है। पटवारी हल्का द्वारा नाहरसिंह वगै. के रकवे को बचाने की नीयत से अपीलांटस के विरूद्व कार्यवाही की गई है। हर दो अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विचार किये बिना मौके की पैमाईश कराये अपीलाधीन आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने के संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य नहीं था। महज पटवारी रिपोर्ट में अंकित अतिक्रमण होने वाले तथ्य के आधार पर अपीलांटस को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है। धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत की जानी वाली कार्यवाही सरसरी कार्यवाही होने के कारण इसकी पूर्णता हेतु पटवारी हल्का के बयान रिकार्ड किया जाना आवश्यक है। पटवारी हल्का के कोई बयान दर्ज नहीं किये गये हैं। अपीलांटस ग्रामीण व्यक्ति है। कानून की बारीकियों को नहीं समझते है। अपीलांटस के वकील द्वारा अपील पेश करने की मियाद 90 दिवस बताई गई। जिस कारण अपीलांटस अपनी अपील को पेश नहीं कर सका। अपीलांट कप्तानसिंह जब दिनांक 07.09.2020 को भरतपुर अपील तैयार कराने वकील के पास आया तब उन्होने निर्णय का अवलोकन कर बताया कि अपील की मियाद 60 दिन थी जो निकल चुक्की है। जानकारी मिलने पर अपीलांटस को एक गहरा मानसिक आघात लगा। अपीलांटस की कोई गलती नहीं है। अतः अपील में हुई देरी को माफ किया जावे। जिस हेतु पृथक से धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 26.06.2014 एवं 11.03.2013 निरस्त फरमाये जावे। वकील अपीलांटस द्वारा अपील के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 1995 पेज 460 पेश किया।

4. विद्वान वकील अपीलांटस की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपीलांटस द्वारा दिये गये तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालयों के समय–समय पर पारित निर्णयों में मयाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया गया है ताकि मामलों में उभयपक्ष की उचित सुनवाई होकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित हो। अतः अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है। माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीर का ससम्मान अवलोकन किया। खसरा नम्बर 550 से लगता हुआ खसरा नम्बर 560 है जिनके अवलोकन से भूमि की पैमाईश के बिना अतिक्रमण का निर्धारण किस प्रकार पटवारी द्वारा किया गया इसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं है। ख.नं. 550 के सहारे अपीलांटस का ख.नं. 560 इसके दूसरी ओर रास्ते से लगा हुआ है जिसका साविक नम्बर 1835 रकवा 6 विस्वा है। वर्तमान खसरा नम्बर के रकवे में अन्तर किस आधार पर है। अपीलांट की आपत्ति पर परीक्षण कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारण नहीं किया। विवादित आराजी की पैमाईश नहीं हुई है। विवादित आराजी के संबंध में रकवा पूर्ति हेतु वाद विचाराधीन है। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर उनकी मददगार साबित होती है। तथ्यों का परीक्षण कर निर्धारण किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में विधिक भूल की है। अतः उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलांटस की अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

5. फलस्वरूप अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2014 एवं 11.03.2013 निरस्त किये जाते है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित खसरा नम्बर की पैमाईश कराई जाकर साबिक रिकार्ड से मिलान कर सुनवाई का अवसर देते हुये नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

6. निर्णय आज दिनांक 29.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/4

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर